



न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

प्रक. / 2010 निगरानी - 723-प्र ।०

- 1- बालकृष्ण पिता नारायण जाति कलोता,
आयु 47 वर्ष, व्यवसाय काश्तकारी निवासी
ग्राम दीपगांव तेह. खातेगांव जिला देवास
- 2- काशीबाई पति बालकृष्ण जाति कलोता,
आयु 42 वर्ष, व्यवसाय काश्तकारी निवासी
ग्राम दीपगांव तेह. खातेगांव जिला देवास
- 3- हरीओम पिता बालकृष्ण जाति कलोता,
आयु 22 वर्ष, व्यवसाय काश्तकारी निवासी
ग्राम दीपगांव तेह. खातेगांव जिला देवास
— निगरानीकर्ता

विरुद्ध :

- 1- जगदीश पिता नारायण जाति कलोता,
आयु 54 वर्ष, व्यवसाय काश्तकारी निवासी
ग्राम दीपगांव तेह. खातेगांव जिला देवास
- 2- कैदारनारयण पिता नारायण जाति कलोता,
आयु 50 वर्ष, व्यवसाय काश्तकारी निवासी
ग्राम दीपगांव तेह. खातेगांव जिला देवास
— विपक्षीयगण

न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय संभाग उज्जैन के द्वारा
न्यायालय प्रकरण क्रमांक 286/08-09 अपील बालकृष्ण आदि
विरुद्ध जगदीश आदि मे पारित आदेश दिनांक 26.4.2010 से
असंतुष्ट होकर निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

(निग. दूसरा छवोंके)

R723-I/10

२३.७.१५

मिशन के लोकेश्वर
अपराह्न छोटी उभयिता जली।
समाप्ति की तो प्रति
रक्षण छोटी शिकायत होनी (उष्ण)
स्थीर मिशन के लोकों का जारी।
२०२५ उभयिता सामग्री-समाचार
जीव बायु का रूपों का अधिक
कीट उभयिता जली। ग्राम की
लोकों ने एक शिकायत होनी
परवाने समान छिपा गया।
एक शिकायत जारी की।

मिशन की जली।
उभयिता
जली।

30mm

२५२५